दिनांक :– 19–02–2008
स्थान :– विराट गेस्ट हाउस, निकट चित्रा सिनेमा हाल, सीतापुर
समय :– 10.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे

बैठक का प्रतिवेदन

mRrj izns'k okWys.Vjh ,D'ku usVodZ (miou)
10 सत्यलोक कॉलोनी, मोहिबुल्लापुर, मड़ियॉव,
सीतापुर रोड, लखनऊ – 226 021
फोन/फैक्स : 0522–2361563, 2732267
ई.मेल : info@upvan.org

उपवन द्वारा संचालित नरेगा अभियान के अन्तर्गत
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005
पर विचार-विमर्श हेतु क्षेत्रीय कार्यशाला

fnukd	%&	19–02–2008
LFkku	%&	विराट गेस्ट हाउस, निकट चित्रा सिनेमा हाल, सीतापुर
le;	%&	10.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे
vk;kstd	%&	उपवन, लखनऊ एवं राही फाउण्डेशन, सीतापुर
प्रतिभागी	:–	60 (नरेगा अभियान के जिला समन्वयक, संस्था प्रमुख, मीडिया प्रतिनिधि एवं सेवानिवृत्त अधिकारी)

iFke l=

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के सही क्रियान्वयन एवं प्रचार–प्रसार हेतु आयोजित विचार–विमर्श बैठक में उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र के जिला समन्वयक, स्थानीय स्वैच्छिक संगठन एवं मीडिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस कार्यशाला में पैनल एवं खुली चर्चा के द्वारा मध्य क्षेत्र के जिलों में अधिनियम के सफल क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों पर विचार–विमर्श किया गया तथा इनको दूर करने हेतु सुझावों का आदान प्रदान किया गया।

कार्यशाला का शुभारम्भ करने से पहले राही फाण्डेशन के श्री सुनील सिंह ने कार्यशाला में आये सभी आगुन्तकों का स्वागत किया तथा पैनल चर्चा हेतु निम्नलिखित लोगों को आमंत्रित किया– श्री देवी प्रसाद गुप्ता, राज्य समन्वयक, नरेगा अभियान, उपवन, श्री सीमा सिंह, केयर सीतापुर, डा. चन्द्रशेखर, सहारा वेलफेयर फाउण्डेशन एवं पत्रकार श्री एम. आर. शर्मा। पैनल गठन के उपरान्त श्री सुनील सिंह द्वारा उपस्थिति सभी प्रतिनिधियों से अपना परिचय देने के लिए कहा गया। परिचय के उपरान्त श्री सुनील सिंह ने इस कार्यशाला के आयोजन के प्रमुख उद्देश्य बतायेः–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंण्टी अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयां एवं उनके निवारण पर विचार–विमर्श।
2. स्वैच्छिक संगठनों की अधिनियम के क्रियान्वयन तथा सोशल आडिट में भूमिका।
3. राज्य स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम पर विचार–विमर्श।
4. अधिनियम में महिलाओं की भागीदारी पर विचार–विमर्श।

तत्पश्चात श्री सिंह ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश यह योजना लागू हुई तभी से उपवन ने इसको अपने एडवोकेसी कार्यक्रम के तहत लिया और इसके प्रचार–प्रसार एवं सरकारी स्तर पर इस योजना के सही क्रियान्वयन हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित किये इसी कड़ी में यह कार्यशाला आयोजित की गयी है। उपवन इस समय लगातार सरकारी अधिकारियों से वार्ता करके बुन्देलखण्ड क्षेत्र में इसके सोशल आडिट के पहल कर रहा है, जिससे योजना का सफल क्रियान्वयन हो सके। इस प्रकार उ.प्र. शासन उपवन एवं सदस्य संगठनों से लगभग 10 जिलों में सोशल आडिट की प्रक्रिया कराने पर विचार कर रहा है।

Jherh lhek flag] d;j bf.M;k, सीतापुर ने इस योजना के बारे में बताते हुए कहा कि यह योजना गरीबों एवं ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। बशर्ते इसके क्रियान्वयन में लगे लोग सही रूप से कार्य करें। इसके लिए हम सभी स्वैच्छिक संगठनों को यह प्रयास करना चाहिए कि कमजोर वर्गों (महिला/विकलांगजन) को इसका लाभ मिले जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सके और वह समाज में सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

Jh noh i!lkn x|Irk] jkT; leUo;d, नरेगा अभियान, उपवन ने कहा कि यह योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जोकि कानून के द्वारा चलायी जा रही है। इसलिए हम सभी स्वैच्छिक संगठनों को जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा तथा ग्रामीण जनसमुदाय को मिले इस अधिकार के बारे में जागरूक करना होगा कि यह उनका मूलभूत अधिकार है। इस योजना में सबसे पहले यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लोगों को 100 दिन का कार्य 100 रुपये की दर प्रत्येक वर्ष मिले।

गांवों की आवश्यकतानुसार स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण हो। इसके माध्यम से *xkok dh rLohj* तथा *xkeh.k etnj* की तकदीर दोनों को बदला जा सकता है। कार्य के वितरण के सम्बन्ध में मजदूरी के आधार पर शोषण की नीति अपनायी जा रही है। सामाजिक अंकेक्षण में दो तत्व आते हैं पहला पारदर्शिता दूसरा जवाबदेही। यदि समय पर ग्राम सभा में सोशल आडिट की प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से शुरू हो जाये और लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित हो जाये तो ग्रामीण क्षेत्र में विकास के कार्यों में गुणवत्ता आयेगी और गांव की आवश्यकता के अनुसार परिसम्पत्तियों का सृजन हो सकेगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार में भी कमी आ सकेगी। सोशल आडिट करते समय गांव के सभी वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, सम्मानित व्यक्ति आदि को शामिल किया जाना चाहिए।

सारे उत्तर प्रदेश में इस कानून के क्रियान्वयन में आने वाली समस्यायें लगभग एक जैसी है या सभी जगह क्रियान्वयन की दशा एक है। शासन के लोगों को इस सम्बन्ध में अपनी धारणायें बदलनी होंगी कि यह कानून अन्य योजनाओं की भांति नहीं चलेगा। क्योंकि अब स्वैच्छिक संगठन के लोग जनजागरूकता एवं संवेदनशीलता का कार्यक्रम चलाकर इसकी जानकारी जन–जन तक पहुँचा रहे हैं और लोग इसे अपना अधिकार समझने लगे हैं। इसलिए कार्यों का निष्पादन गांव की आवश्यकता एवं क्षेत्र की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। शासन के अधिकारियों में कानून के क्रियान्वयन को लेकर उपवन व अन्य स्वैच्छिक संगठनों ने हलचल मचा दी है, जो भ्रष्टाचार को मिटाने या कम करने में एक सराहनीय कदम हो सकेता है।

miou d! dk;Øe lgk;d] vke dekj }kjk राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें अधिनियम के ie[k mís'; जैसे ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, गांव से शहरों की ओर होने वाले पलायन को कम करना, महिलाओं को सबलीकरण का अवसर प्रदान करना तथा गांवों में उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना; vf/kfu;e dh fo'k"krk,! t!l&सभी ग्रामीण परिवार योजना की परिधि में, परिवार के वयस्क

इच्छुक व्यक्ति रोजगार के पात्र, ग्राम पंचायतें रोजगार उपलब्ध करायेंगी, रोजगार श्रमिकों को निवास के 5 किमी0 के अन्दर तथा दूरी बढ़ने पर 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी, मजदूरी की दर 100 रुपये प्रतिदिन (1 अगस्त, 2007) तथा मजदूरी भुगतान 7 दिनों में, आवेदन के 15 दिन के अन्दर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता। पहले 30 दिनों हेतु मजदूरी का 1/4 तथा बाद के दिनों में 1/2, 10 श्रमिकों की उपलब्धता पर नये कार्य आरम्भ होंगे, श्रम और सामग्री में 60:40 का अनुपात रहेगा, कार्यस्थल पर सुविधाएं–पीने का पानी, छाया, प्रा. चिकित्सा किट, पारदर्शिता, सूचना प्राप्ति और सोशल ऑडिट की व्यवस्था, श्रमिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भर्ती की स्थिति में मजदूरी का 1/2 (आधा) दैनिक भत्ते के रूप में, कार्य के दौरान स्थायी विकलांगता अथवा मृत्यु की स्थिति में 25000/– रुपये की सहायता, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघन करने वाले व्यक्ति को 1,000/ रुपये तक के दण्ड की व्यवस्था–धारा 25; अधिनियम के fØ;kUo;u e: vku okyh dfBukb;k t:l& वांछित स्टाफ की कमी, योजना से सम्बन्धित लोगों को प्रशिक्षण न दिया जाना, प्रचार–प्रसार की कमी, जनजवाब देही की कमी, ग्राम प्रधानों/पंचायत सचिवों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, मजदूरों के जॉब कार्ड न देना, ग्राम पंचायत में अभिलेखों का न होना, मजदूरी का भुगतान निर्धारित दर अनुसार व समय पर न किया जाना; ;k tuk e: LofPNd lxBuk dh Hkfedk t:l&पंचायतों जानकारी उपलब्ध कराना, विकास के अवसर को पहचानने में मदद करना, समस्याओं और आवश्यकताओं के संकलन में सहयोग करना, जॉब कार्ड के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना, मजदूरों को कार्य हेतु आवेदन करने के लिए प्रेरित करना, स्थानीय स्तर पर योजनाओं निर्माण एवं रोजगार के आकलन में सहयोग करना, ग्राम पंचायतों का संवेदीकरण करना, सृजित परिसम्पत्तियों का आकलन करना तथा सरकार द्वारा इण्टरनेट पर दिये गये योजना से सम्बन्धित आंकड़ों को प्रस्तुत कर संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण किया गया।

Jherh deyk ckt ib] ykdfe= jk;cjyh, ने बताया कि उनके जिले में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान खंती (मापकर) के आधार पर दिया जाता है, जिसके कारण उनका शोषण हो रहा है। प्रधानों द्वारा धांधली की जा रही है। महिलाओं को कार्य नहीं दिया जा रहा है, उनके आवेदन पत्र नहीं लिये जा रहे हैं। अधिकारियों से बात करने पर कहते हैं कि महिलायें कार्य नहीं कर पाती हैं इसलिए उनको कार्य नहीं दिया जा रहा है। संस्था एवं महिला मजदूरों के लम्बे संघर्ष के उपरान्त कुछ महिलाओं को इस योजनान्तर्गत कार्य प्रदान किया गया है। किन्तु महिलाओं को अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अभी भी कार्य नहीं दिया जा रहा है।

इसके लिए स्वैच्छिक संगठनों को चाहिए कि आवश्यकताग्रस्त लोगों की अगुवाई के लिए कार्य करें। सभी जॉब कार्डधारकों की ग्राम पंचायत स्तर पर मीटिंग करके उसमें से 10 अच्छे समझदार लोगों की समिति बनाकर उन्हें आगे बढ़कर अपने लोगों की सहायता के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसी प्रकार न्याय पंचायत स्तर, इसके बाद विकास खण्ड स्तर पर जागरूक लोगों की एक समिति बनाई जाये जो अपना हक प्रत्येक स्तर पर मांग सके। वर्तमान में हम लोगों ने 350 लोगों द्वारा कार्य हेतु आवेदन पत्र दिलाया गया है, जिसकी प्राप्ति रसीद लोगों के पास है। यदि 15 दिनों के पश्चात् लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों द्वारा बेरोजगारी भत्ते की मांग की जायेगी।

Jh QypUn] Hkkjrh; tu lsok vkJe] cnyksij] tkSuiqj, ने इस योजना में अपने जिले की स्थिति को बताते हुए कहा कि इस योजना में हमारे जिले में बहुत गड़बड़ी हो रही है, लोगों के कार्यदिवस 10 दिन के बदले में 20–25 दिन जॉब कार्ड पर चढ़ा दिया जाता है। 14 दिन कार्य करने की जगह किसी–किसी के जॉब कार्ड में 7 दिन ही लिखे जाते हैं, और कहते हैं कि मजदूरी माप के अनुसार दी जायेगी। मजदूरों के मस्टर रोल में गड़बड़ी की जा रही हैं इस पर हम लोगों ने बातचीत की तो इसका कोई सार्थक जवाब नहीं दिया गया। इसके संस्था ने मजदूरों से धरना प्रदर्शन कराया गया। बी.डी.ओ. से बातचीत की गयी लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला और ऊपर ब्लाक प्रमुख, तथा स्थानीय नेताओं द्वारा राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना बंद कर दें।

Mk- t;- ih- flag-] lokZn; xzkeks|ksx lsok lfefr] lqYrkuiqj ने बताया कि उनके जिले में जो कार्य इस योजना के अन्तर्गत किये जा रहे है वह विगत कई वर्षों से कराये जा रहे हैं जबकि इसके कार्य बहुत ही विस्तृत हैं। इस योजना में बी.डी.ओ. द्वारा ग्राम प्रधान से केवल प्रस्ताव मांग लिया जाता है और उसी के अनुरूप कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है। ग्राम सभा से इसमें कोई सुझाव नहीं लिया जाता है। सारे कार्य सिस्टेमिक ढंग से किया जा रहा है। इस योजना में कार्य के दौरान मजदूरों को कोई भी सुविधायें स्वास्थ्य, छाया आदि नहीं प्रदान की जा रही हैं। योजना में महिलाओं व विकलांगजनों को कार्य व्यवस्था नहीं है। जो आंकड़ें दिखाये जाते हैं वह सभी फर्जी हैं। उच्च परिवारों के लोगों के जॉब कार्ड बनाये गये हैं जबकि जरूरतमंद लोगों के जॉबकार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं जिससे उनको इसका लाभ मिल सके। इस योजना में बी.पी.एल. परिवारों की जमीनों पर भी कार्य किये जाने चाहिए। जिससे उनको इसका सीधे लाभ प्राप्त हो सकेगा।

Fkk: MoyiesUV lkslkbVh] y[kheiqj d̀ iz̀frfuf/k ने बताया कि उनके जिले में नरेगा की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि यहां पर ग्राम सभा की बैठक में केवल लोगों से उपस्थिति ले ली जाती है उनके सामने प्रस्तावों पर न तो चर्चा की जाती है और न ही प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। बल्कि वह बाद में अलग से बनाकर भेज दिये जाते हैं। इसके लिए सभी स्वैच्छिक संगठनों को योजना का प्रचार–प्रसार कर जन समुदाय में इसकी समझ को विकसित करने की जरूरत है जिससे गरीब परिवारों को इसका सीधे लाभ प्राप्त हो सके।

Jh fo'kEHkj ukFk] xzke Lojkt fe'ku vkJe] y[kheiqj] ने बताया कि मीडिया को इस अधिनियम की समझ मात्र 10 प्रतिशत है तथा ग्राम प्रधान एवं आम जनता को भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। इसलिए जिन लोगों को इस योजना की जानकारी नहीं उन्हें इसकी जानकारी तथा इससे सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध कराया जाये, जिससे इसके सार्थक परिणाम प्राप्त हो सके। लोगों के जॉब कार्ड पक्षपातपूर्ण तरीके से बनाये गये हैं जॉबकार्ड मजदूरों को नहीं दिये गये। कार्य कराने के बाद श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। सूचना का

अधिकार के तहत कार्यवाही की गयी लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं प्राप्त हुए केवल कुछ लोगों को मजदूरी दे दी गयी।

Jh dkf'kd ijekj] oM fotu] lhrkij ने कहा कि यदि इस अधिनियम में गलत ढंग से कार्य करने पर 1000/– दण्ड का प्राविधान है जो अपराध की गम्भीरता को कम करता है। अधिनियम के महत्व को देखते हुए दण्ड का प्राविधान बढ़ाया जाना आवश्यक है।

Jh i"iUn lgkjk oyQ;j Qkm.M'ku] lhrkij इसमें समस्यायें बहुत हैं, जॉब कार्ड बनाने से लेकर मजदूरी भुगतान तक। लगभग 90–95 प्रतिशत भ्रष्टता इसमें व्याप्त है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह योजना यदि ठीक प्रकार से लागू हो जाये तो इससे ग्रामीण क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सकेगा। इसके लिए हम सभी लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसी 2 समितियों को बनाना चाहिए जिसमें पहली केवल यह देखे की जिन लोगों के जॉब कार्ड बने हैं वह सही हैं। दूसरी समिति कार्यों की गुणवत्ता को देखे। इसके अलावा सूचना का अधिकार के माध्यम से जॉब कार्ड एवं सम्बन्धित कागजों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जो तालाब खुदवाये जा रहे हैं उनके किनारे पेड़ लगवाये जायें जो किनारों को टूटने से बचायेंगे।

Jh lquhy flag] jkgh Qkm.M'ku] lhrkij ने इस योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसमें 100 दिनों का रोजगार, 100 रुपये मजदूरी तथा जॉब कार्ड मजदूर के पास हो ऐसी व्यवस्था की गयी है। श्री सिंह ने पंचायत मित्र की कार्यशैली को बताते हुए कहा कि अब पंचायत मित्र योजना का नोडल व्यक्ति होगा जो इससे सम्बन्धित सभी रिकार्ड को देखेगा, अन्य कोई कार्य नहीं करेगा। जैसे आवेदन लेकर उसकी पावती देना, मस्टर रोल को भरना, हस्ताक्षर करने की शक्ति भी मिलेगी,। पंचायत मित्र की तैनाती अब ग्राम प्रधान के संस्तुति पर न होकर बी. डी. ओ. की संस्तुति पर की जायेगी। इस योजना के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक जनपद को 10 लाख रुपये की धनराशि सरकार द्वारा की गयी थी। जिसमें पंचायत सदस्य/ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/पंचायत मित्र आदि का प्रशिक्षण होना था। जो केवल खानापूर्ति के आधार पर कर दिया गया। इस योजना को सही रूप में क्रियान्वित करने के लिए जरूरत है राजनीति इच्छा शक्ति की। यह तभी सम्भव होगा जब लोग इसमें बढ़–चढ़कर हिस्सा लेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य परिवार तभी होगा जब उसकी आर्थिक शक्ति बढ़ेगी। जो इस योजना के माध्यम से कुछ हद तक पूर्ण हो सकती है।

Jh ,e- vkj- 'kek fgUnLrku VkbEl] lhrkij ने बताया कि वह कार्य मांगने के आवेदन की रसीद की स्थिति का आकलन मार्च से नवम्बर, 2006 के मध्य करके 5 दिसम्बर, 2007 को 200 मजदूरों के साथ धरना दिया गया। 8 दिसम्बर, 2007 से वार्ता शुरू हुई और 10 दिसम्बर को सी. डी. ओ. ने मजदूरों की मांग को बी.डी.ओ. की आख्या पर खारिज कर दी। इस पर मजदूरों द्वारा जांच की मांग की गयी। जो इस समय चल रही है। इसके लिए हम सभी लोगों को मजदूरों को खुद लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करना होगा। वह अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़ पायेंगे।

Hkkstukodk'k d cknf}rh; l= e ग्राम प्रधान *¼lt; 'kDyk½] ifjuxj] lhrkij* ने अपनी ग्राम पंचायत में इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में आये अनुभवों को बताते हुए कहा कि एम. बी. कम होने पर 10 प्रतिशत का कमीशन मांगा जाता है, कमीशन न देने पर अगली किश्त विकास खण्ड से रोक दी जाती है। हमारी ग्राम पंचायत में अन्य जगहों की अपेक्षा महिलाओं को कार्य ज्यादा दिया गया है तथा सभी मुस्लिम सदस्यों को कार्य दिया गया। 100 मजदूरों के कार्य का औसत लगभग 20–25 दिन का है। दूसरी किश्त न देने पर हमने 30–40 मजदूरों को कार्य हेतु आवेदन करवा दिया तब जाकर 15वें दिन पैसा रिलीज किया गया। यदि हमने अधिकारियों को कमीशन दिया होता तो हमारी ग्राम पंचायत में और अधिक कार्य हुआ होता। केवल कमीशन न देने के कारण हमारी ग्राम पंचायत को फण्ड नहीं दिये जा रहे हैं। लेकिन इस योजना के अन्तर्गत लगभग हमारी पंचायत को 3.50 लाख रुपये मिल चुके हैं।

Jh vke dekj] द्वारा सोशल आडिट पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें अधिनियम की धारा–17 में योजनान्तर्गत किये गये कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सोशल आडिट की बात की गयी है। इसके माध्यम से गांवों में होने वाले कार्यों की प्रभावकारिता बढ़ेगी। इसी के साथ lk'ky vkfMV d mís'; tl&क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों की स्थिति का आकलन करना, हितभागियों में जागरूकता पैदा करना, संगठन एवं कर्मियों की कार्यक्षमता वृद्धि हेतु सुविधा उपलब्ध कराना, स्थानीय विकास कार्यक्रमों की प्रभावकारिता में वृद्धि; lk'ky vkfMV d ykHk tl&नियोजन की प्रक्रिया में जन समुदाय की भागीदारी, स्थानीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, उपेक्षित वर्ग का जुड़ाव, सामूहिक निर्णय एवं उत्तरदायित्व की प्रक्रिया में तेजी, सोशल आडिट हेतु ग्राम सभा के कार्यों में तेजी तथा lk'ky vkfMV d pj.k tl&सोशल आडिट करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना अनिवार्य है–परिवारों का पंजीकरण, जॉब कार्डों का वितरण, कार्य हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्ति, परियोजना पोथी की तैयारी तथा स्थलों का चयन, तकनीकी, ऑकलन, कार्य आदेश का अनुमोदन तथा उसका निर्गमन, कार्य आवंटन, कार्यों का क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण, बेरोजगारी भत्ते का निवारण, मजदूरी का भुगतान, कार्यों का मूल्यांकन, ग्राम सभा में अनिवार्य सोशल आडिट (फोरम)

इस प्रकार सोशल आडिट एक पद्धति है जिसके द्वारा विकास की प्रक्रिया को गति मिलती है इसलिए इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करें और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में भागीदार बने।

इसके उपरान्त श्री सुनील सिंह ने *Mk- pUnz'ks[kj] Igkjk oYQs;j Qkm.Ms'ku] lhrkiqj* से कहा कि यदि आप लोगों द्वारा चलायी जा रही मोबाइल डिस्पेंसरी का उपयोग नरेगा के प्रचार–प्रसार में किया जाय तथा इसके माध्यम से लोगों को जानकारी प्रदान की जाये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पर डॉ. चन्द्रशेखर ने कहा कि हम अपने अधिकारियों से विचार–विमर्श करके इस प्रकार के कार्यक्रम को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके उपरान्त डॉ. शेखर ने कहा कि जब लोगों को जानकारी मिलेगी तो वह अपने हक को समझ सकते हैं। हमें उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करने हेतु उनके अन्दर संवेदनशीलता एवं समक्ष को विकसित करना चाहिए तथा लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वह एक साथ मिलकर रोजगार की मांग करें। ग्राम प्रधानों को चाहिए कि वे सी.डी.ओ. से होने वाली बैठकों में अपनी बातों को रखें तथा अच्छी मानसिकता के साथ अपने यहां मजदूरों को सभी सुविधायें प्रदान करते हुए इसे लागू करें। गांव में एक समिति बनाई जाये जो सभी कार्यों पर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करे, ग्राम प्रधान के साथ मिलकर जागरूकता गोष्ठी करे।

Jh pUnznso f=osnh] ehfM;k iHkkjh] miou] y[kuÅ ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में सरकारी स्तर पर जो दबाव बन रहा है उसमें स्वैच्छिक संगठनों एवं मीडिया का महत्वपूर्ण सहयोग है, जिन संगठनों तक मीडिया की पहुँच नहीं हो पाती है वह मीडिया में तथ्यों के साथ अपनी जानकारी रखें इस पर मीडिया जरूर कार्य करेगी। आप लोग जिले स्तर की सूचनाओं को संकलन करके उपवन तक पहुँचाये तो हम राज्य स्तर पर आपकी सूचनाओं को पहुँचायेंगे। नरेगा के क्रियान्वयन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वह मीडिया को जरूर उपलब्ध करायें क्योंकि मीडिया जन पैरवी का सशक्त माध्यम है।

अंत में राज्य समन्वयक श्री गुप्ता ने कहा कि हम सभी स्वैच्छिक संगठनों को मीडिया के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, लोगों में संवेदनाओं को बढ़ाना, मीडिया को पूरी जानकारी देना, कार्यशाला में आये ग्राम प्रधान को चाहिए कि शासन को लिखकर दें कि वह अपनी ग्राम पंचायत के श्रमिकों के खाते खोलकर उनकी मजदूरी का भुगतान करेंगे, वह इसकी पहल करें। सी. डी. ओ. और नरेगा अभियान, उपवन के जिला समन्वयकों को आपस में अच्छे सम्बन्ध बनाने चाहिए। स्वैच्छिक संगठन बी.डी.ओ. से विचार–विमर्श करें जिससे लीकेज कम हो जायेंगे। सरकारी टीम और उपवन की टीम आन्ध्र प्रदेश के भ्रमण पर जाकर वहां की उपलब्धियों को समझकर अपने प्रदेश में उसे लागू कराने का प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ कार्यशाला में आये सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि हम और आप मिलकर इस योजना को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं।

कार्यशाला उपस्थित प्रतिभागीगण

"नरेगा" चलेगा तो गाँव फूलेगा फलेगा
उपवन द्वारा संचालित नरेगा अभियान के अन्तर्गत